अध्याय - 9

# सेवाओं का परिदान

# अध्याय 9: सेवाओं का परिदान

यह अध्याय आयुष चिकित्सा महाविद्यालयों से जुड़े शिक्षण चिकित्सालयों, आयुष औषधालयों और 4, 15 और 25 शय्याओं वाले चिकित्सालयों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से संबंधित है। लेखापरीक्षा ने स्वास्थ्य देखभाल और संबद्ध सेवाओं के लिए लागू प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आठ नमूना-जांच वाले जिलों में 26 आयुष औषधालयों, 34 चार-शय्या वाले, दो पंद्रह-शय्या वाले और पांच पच्चीस शय्या वाले आयुष चिकित्सालयों के साथ-साथ पांच[1] राजकीय आयुष चिकित्सा महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों का चयन किया।

## 9.1 नैदानिक स्थापना अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण और राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से प्रत्यायन

नैदानिक स्थापना (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 (नैदानिक स्थापना अधिनियम), देश में नैदानिक प्रतिष्ठानों द्वारा सुविधाओं और सेवाओं के मूलभूत न्यूनतम मानकों को निर्धारित करने के उद्देश्य से नैदानिक प्रतिष्ठानों के पंजीकरण और नियमन का प्रावधान करता है। इसके अतिरिक्त, चिकित्सालयों और स्वास्थ्य-सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड ने आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से आयुष अस्पताल प्रत्यायन कार्यक्रम (2009) प्रारम्भ किया है और इसमें प्रत्येक चिकित्सा प्रणाली यथा आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी चिकित्सालयों के लिए गुणवत्ता आश्वासन मानकों को सम्मलित किया गया है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि, उत्तर प्रदेश शासन ने नवंबर 2021 और जनवरी 2022 में नैदानिक स्थापना अधिनियम के अंतर्गत क्रमशः 30 शय्याओं, 50 और उससे अधिक शय्याओं वाले चिकित्सालयों के पंजीकरण के लिए आदेश निर्गत किये, नमूना-जांच किये गये चिकित्सा महाविद्यालयों से सम्बद्ध पांच चिकित्सालयों (दो आयुर्वेद, दो होम्योपैथी और एक यूनानी) में से कोई भी नैदानिक स्थापना अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं था। इसके अतिरिक्त, दो राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से प्रत्यायन प्राप्त नहीं था, यद्यपि

[1] राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, बांदा (स्नातक), राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, पीलीभीत (स्नातकोत्तर), राजकीय यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, लखनऊ; राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, मुरादाबाद (स्नातक) और राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, प्रयागराज (स्नातकोत्तर)

होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों हेतु न्यूनतम मानक आवश्यकता के अंतर्गत यह आवश्यक था। आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों के लिए उनके संबंधित विनियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

शासन द्वारा बताया गया (जनवरी 2025) कि नैदानिक स्थापना अधिनियम के संबंध में आयुर्वेद प्रतिष्ठानों के लिए पंजीकरण मानक उपलब्ध नहीं थे, यूनानी प्रतिष्ठानों के पंजीकरण शीघ्र ही पूरा कर लिये जायेंगे, परन्तु होम्योपैथिक प्रतिष्ठानों के पंजीकरण के संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया गया। राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से प्रत्यायन के संबंध में शासन ने कहा कि राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों के प्रत्यायन के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों के प्रत्यायन के लिए सुझाव के अनुसार कार्यवाही की जाएगी, परन्तु राजकीय यूनानी चिकित्सा महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों के राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से प्रत्यायन के संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया गया।

## 9.2 बाह्य-रोगी सेवाएं

वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार, बाह्य-रोगी पहले बाह्य-रोगी विभाग में स्वयं को पंजीकृत करवाते हैं। पंजीकृत होने के पश्चात, रोगी परामर्श के लिए चिकित्सक से मिलते हैं। चिकित्सक या तो साक्ष्य-आधारित रोग निदान के लिए परीक्षण लिखते हैं, या परामर्श के दौरान किये गये रोग-निर्णय के अनुसार औषधियाँ लिखते हैं। लेखापरीक्षा ने पाया कि शासन ने राजकीय आयुष चिकित्सा महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों के वाह्य-रोगी विभाग के लिए गर्भावस्था के प्रबंधन, आपातकालीन देखभाल, आवश्यक प्रयोगशाला सेवा, रेफरल परिवहन सेवा जैसी सेवाओं को मानकीकृत नहीं किया है। अन्य लेखापरीक्षा निष्कर्षों की पश्चातवर्ती प्रस्तरों में चर्चा की गई है:

### 9.2.1 राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं संबद्ध चिकित्सालयों में बाह्य-रोगी विभाग के लिए पंजीकरण सुविधा

पंजीकरण पटल चिकित्सालय के साथ संपर्क का प्रथम बिंदु होता है और यह रोगियों और उनके परिचारकों के लिए चिकित्सालय के अनुभव का एक महत्वपूर्ण घटक है। आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के लिए न्यूनतम मानक आवश्यकता को निर्धारित करने वाले विनियमों में यह प्रावधान था कि महाविद्यालयों से

सम्बद्ध चिकित्सालय बाह्य रोगी विभाग में रोगियों के अभिलेखों के प्रबंधन के लिये वेब-आधारित/कम्प्यूटरीकृत केंद्रीय पंजीकरण प्रणाली को संचालित करेंगे। तथापि, नमूना-जांच किये गये पांच राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों द्वारा प्रस्तुत की गयी सूचना से यह संज्ञान में आया कि इन आयुष चिकित्सा महाविद्यालयों से सम्बद्ध किसी भी चिकित्सालय में कोई वेब-आधारित/ कम्प्यूटरीकृत केंद्रीय पंजीकरण प्रणाली उपलब्ध नहीं थी।

शासन ने स्वीकार किया (जनवरी 2025) कि वेब आधारित केंद्रीय पंजीकरण प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए कार्यवाही की जाएगी/की जा रही है।

### 9.2.2 रोगी-भार

आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालयों से सम्बद्ध चिकित्सालयों के लिए न्यूनतम मानकों की आवश्यकता को भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद और केंद्रीय होम्योपैथी आयोग के विनियम प्रबन्धित करते हैं। इसके अंतर्गत एक कैलेंडर वर्ष में क्रमशः 60 सीटों और 60-100 सीटों तक की प्रवेश क्षमता वाले आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी महाविद्यालयों के लिए प्रतिदिन औसतन 120 बाह्य-रोगी और 200 बाह्य-रोगी अपेक्षित थे।

(i) **तालिका-19** में दिया गया विवरण नमूना जांच किये गये राजकीय आयुष चिकित्सा महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों से संबद्ध चिकित्सालयों में वाह्य रोगी विभाग के रोगियों की संख्या को दर्शाते हैं:

**तालिका 19: नमूना जांच किए गए पांच राजकीय आयुष चिकित्सा महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों में बाह्य-रोगी विभाग में परामर्श को प्रदर्शित करने वाला विवरण**

| राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय का नाम | बाह्य-रोगी विभाग में रोगियों की संख्या | | | | | | प्रतिदिन औसत परामर्श[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | कुल | |
| आयुर्वेद, बांदा | 41292 | 28162 | 23224 | 33363 | 40153 | 166194 | 111 |
| आयुर्वेद, पीलीभीत | 92892 | 90699 | 13682 | 48687 | 76361 | 322321 | 215 |
| यूनानी, लखनऊ | 51462 | 53598 | 18235 | 17270 | 58504 | 199069 | 133 |
| होमियोपैथी,मुरादाबाद | 66205 | 58417 | 33212 | 37983 | 59121 | 254938 | 140 |
| होमियोपैथी, प्रयागराज | 130122 | 166685 | 58498 | 106184 | 166461 | 627950 | 344 |

*(स्रोत: संबंधित राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)*

[2] राजकीय आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों के लिए 300 दिन और राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों के लिए 365 दिन।

उपरोक्त आकड़ों से पता चलता है कि 2018-19 से 2022-23 तक की अवधि के दौरान, प्रतिदिन 120 बाह्य-रोगियों की अपेक्षित संख्या के सापेक्ष, बांदा और पीलीभीत के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय में प्रतिदिन बाह्य-रोगियों की औसत संख्या क्रमशः 111 और 215 थी; और प्रतिदिन 200 बाह्य-रोगियों की आवश्यक संख्या के सापेक्ष, राजकीय यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, लखनऊ, राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, मुरादाबाद और राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, प्रयागराज में बाह्य-रोगियों की औसत संख्या क्रमशः 133, 140 और 344 थी। इस प्रकार, राजकीय यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, लखनऊ और राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय मुरादाबाद में बाह्य-रोगियों की संख्या मानक से बहुत कम थी।

राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, मुरादाबाद के सम्बन्ध में शासन ने बताया (जनवरी 2025) कि कोविड महामारी के कारण बाह्य-रोग विभाग में रोगी कम थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उन वर्षों में भी बाह्य-रोगी विभाग रोगी कम थे जो कोविड से प्रभावित नहीं थे। राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, बांदा और राजकीय यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, लखनऊ के बाह्य-रोगी विभाग में रोगी कम होने के बारे में शासन ने कोई उत्तर नहीं दिया।

(ii) शासन ने औषधालयों तथा 4, 15 व 25 शय्याओं वाले चिकित्सालयों में प्रतिदिन रोगियों को परामर्श देने के लिए आयुष चिकित्सा अधिकारियों के लिए कोई मानक निर्धारित नहीं किये थे। परिणामतः, चिकित्सकों द्वारा दिए जाने वाले परामर्श में काफी भिन्नता थी[3], जिसका विवरण तालिका-20 में दिया गया है।

[3] लेखापरीक्षा में नमूना जांच किये गये 67 आयुर्वेदिक, यूनानी तथा होम्योपैथिक औषधालयों तथा चिक्त्सलयों में से 10 औषधालयों तथा चिक्त्सलयों में कोई चिकित्सक नहीं थे, तथा कुछ अन्य औषधालयों/अस्पतालों के चिकित्सक इन औषधालयों से संबद्ध थे।

**तालिका 20: नमूना जाँचे गए चिकित्सालयों और औषधालयों में 2018-19 से 2022-23 के दौरान सेवित रोगियों की संख्या और प्रति औषधालय/अस्पताल प्रति दिन दिये गये परामर्शों को दर्शाने वाला विवरण**

| स्वास्थ्य सेवा सुविधा का नाम | भ्रमण की गयी सुविधाओं की संख्या | 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान नए रोगियों की कुल संख्या | 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान एक वर्ष में चिकित्सकों द्वारा दिए गए न्यूनतम और अधिकतम परामर्शों का विस्तार | प्रति दिन प्रति चिकित्सक परामर्शों की औसत संख्या |
|---|---|---|---|---|
| आयुर्वेदिक बाह्य-रोगी विभाग | 07 | 181833 | 528 से 9368 | 17 |
| यूनानी बाह्य-रोगी विभाग | 03 | 63045 | 651 से 10795 | 14 |
| होम्योपैथिक बाह्य-रोगी विभाग | 16 | 841572 | 585 से 841572 | 35 |
| आयुर्वेदिक 4- शय्या वाले अस्पताल | 18 | 669219 | 0 से 16829 | 24 |
| यूनानी 4- शय्या वाले अस्पताल | 16 | 454381 | 557 से 12314 | 19 |
| आयुर्वेदिक 15- शय्या वाले अस्पताल | 02 | 91328 | 6235 से 14139 | 30 |
| आयुर्वेदिक 25- बिस्तर वाले अस्पताल | 05 | 275406 | 4284 से 16739 | 36 |

*(स्रोत: नमूना जांच किये गये चिकित्सालयों और औषधालयों द्वारा दी गई सूचना)*

शासन ने प्रतिदिन औसत परामर्श के संबंध में पुराने और नये रोगियों के लिए राज्य के वर्षवार आंकड़े प्रस्तुत किये तथा बताया कि आयुर्वेदिक औषधालयों और चिकित्सालयों में प्रतिदिन औसत परामर्श लगभग 40 थे; लेकिन यूनानी और होम्योपैथी औषधालयों/चिकित्सालयों द्वारा दिये गये परामर्श के संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया।

## 9.3 अन्तः रोगी सेवाएं

वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक की अवधि के दौरान नमूना जांचे गए पांच राजकीय आयुष चिकित्सा महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों में अन्तः रोगी सेवाओं की दक्षता तालिका-21 में दी गई है:

**तालिका 21: 2018-19 से 2022-23 तक की अवधि के दौरान रोगियों के शय्या-अधिभोग और ठहरने की अवधि का विवरण**

| विवरण | राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, बांदा | राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, पीलीभीत | राजकीय यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, लखनऊ | राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, मुरादाबाद | राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, प्रयागराज |
|---|---|---|---|---|---|
| आवश्यक शय्याओं की औसत संख्या | 60 | 100 | 101 | 25 | 36.80 |
| उपलब्ध शय्याओं की औसत संख्या | 60 | 100 | 101 | 25 | 36.80 |
| प्रति वर्ष भर्ती रोगियों की औसत संख्या | 292 | 1404 | 495 | 1407 | 1335 |
| प्रति वर्ष उपलब्ध शय्याओं की औसत संख्या (कोविड वर्षों सहित) | 21900 | 36500 | 36865 | 9125 | 13432 |
| प्रति वर्ष उपलब्ध शय्याओं की औसत संख्या (कोविड वर्षों को छोड़कर) | 21900 | 36500 | 37230 | 9125 | 13140 |
| प्रति वर्ष अधिभोग की गयी शय्याओं की औसत संख्या (कोविड वर्षों सहित) | 5493 | 13602 | 17123 | 2741 | 3266 |
| प्रति वर्ष अधिभोग की गयी शय्याओं की औसत संख्या (कोविड वर्षों को छोड़कर) | 8085 | 19693 | 21347 | 4569 | 5354 |
| रोगियों के ठहरने की औसत अवधि - दिनों में (कोविड वर्षों सहित) | 18.81 | 1.47 | 34.59 | 2.14 | 2.38 |
| रोगियों के ठहरने की औसत अवधि - दिनों में (कोविड वर्षों को छोड़कर) | 18.83 | 1.30 | 34.93 | 2.15 | 2.10 |
| प्रति वर्ष औसत शय्या अधिभोग दर [4](कोविड वर्षों सहित) | 25.08 | 37.27 | 46.45 | 30.04 | 24.32 |
| प्रति वर्ष औसत शय्या अधिभोग दर (कोविड वर्षों को छोड़कर) | 36.92 | 53.95 | 57.34 | 50.07 | 40.75 |

*(स्रोत: नमूना जांच किये गए राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना)*

[4] शय्या अधिभोग दर = (अधिभोग की गयी शय्याओं की संख्या/उपलब्ध शय्याओं की कुल संख्या) x 100

उपरोक्त आकड़ों से पता चलता है कि 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान चिकित्सालयों में शय्याओं के अधिभोग की दर 25.08 से 46.45 प्रतिशत के मध्य थी (कोविड वर्षों को छोड़कर, यह 36.92 से 57.34 के मध्य थी) जो शय्याओं की उपलब्धता की तुलना में पर्याप्त रूप से कम थी। इसके अतिरिक्त, चिकित्सालय में ठहरने की औसत अवधि 1.47 दिन से 34.59 दिन के मध्य थी (कोविड वर्षों को छोड़कर, यह 1.30 से 34.59 दिन के मध्य थी)। राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय बांदा और राजकीय यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, लखनऊ में ठहरने की औसत अवधि काफी अधिक थी।

वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि के लिए चार शय्याओं वाले 18, पंद्रह शय्याओं वाले दो, पच्चीस शय्याओं वाले पाँच आयुर्वेदिक चिकित्सालयों और चार शय्याओं वाले 16 यूनानी चिकित्सालयों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना से संज्ञान में आया कि:

- 2018-19 से 2022-23 तक की अवधि के दौरान चार शय्याओं वाले 16 (89 प्रतिशत), पच्चीस शय्याओं वाले दो (40 प्रतिशत) आयुर्वेदिक चिकित्सालयों और चार शय्याओं वाले 16 (100 प्रतिशत) यूनानी चिकित्सालयों में कोई भी रोगी भर्ती नहीं हुआ।
- चार शय्याओं वाले दो, पंद्रह शय्याओं वाले दो और पच्चीस शय्याओं वाले तीन आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में, केवल 374, 1179 और 1215 रोगी भर्ती हुए[5], जिसका अर्थ है कि चिकित्सालयों में प्रति दिन औसतन 0.10, 0.32 और 0.22 रोगी भर्ती हुए[6]।
- चार शय्याओं वाले पाँच आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में कोई चिकित्सक नहीं था, चार शय्याओं वाले छः और 25 शय्याओं वाले पांच आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में कोई वार्ड बॉय नहीं था, 15 शय्याओं वाले दो और 25 शय्याओं वाले पाँच चिकित्सालयों में कोई सिस्टर/नर्स नहीं थी। इसी तरह, चार शय्याओं वाले आठ यूनानी चिकित्सालयों में कोई चिकित्सक और वार्ड ब्वाय नहीं था।

[5] चार शय्याओं वाले 2, पंद्रह शय्याओं वाले 2 और पच्चीस शय्याओं वाले 3 आयुर्वेदिक अस्पतालों में, वर्ष 2018-19 से 2023 के दौरान क्रमशः केवल 325, 755 और 920 रोगी भर्ती हुए जिसमें कोविड वर्ष 2020-21 और 2021-22 शामिल नहीं हैं, जिसका अर्थ है कि इन अस्पतालों में वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान क्रमशः 0.18, 0.42 और 0.34 रोगी/दिन भर्ती हुए।

[6] एक वर्ष में 365 कार्य दिवसों के आधार पर ।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि जिन प्रकरणों में रोगी भर्ती भी हुए, उनमें शय्याओं की क्षमता को देखते हुए रोगियों की संख्या पर्याप्त रूप से कम थी। इसके अतिरिक्त, सिस्टर, नर्स और वार्ड ब्वाय की अनुपलब्धता के कारण इन चिकित्सालयों की अन्तः रोगी सेवायें उचित ढंग से संचालित नहीं थीं।

शासन ने राजकीय आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों में अंतः रोगी विभाग में रोगियों की कम संख्या को स्वीकार किया (जनवरी 2025) और कहा कि कोविड महामारी के प्रसार और राजकीय यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, लखनऊ के पास एक पुल के निर्माण के कारण यह संख्या कम हुई है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कोविड से प्रभावित न होने वाले वर्षों में भी अंतःरोगी विभाग में रोगियों की संख्या कम थी। शासन ने यह भी कहा कि अन्य आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में रोगियों को भर्ती करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है और यूनानी चिकित्सालयों में रात्रि स्टाफ की व्यवस्था की जा रही है।

## 9.4 शल्य चिकित्सा कक्ष और शल्य चिकित्सा

आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों के लिए न्यूनतम मानक आवश्यकता का निर्धारण करने वाले विनियम बड़े और छोटे शल्य चिकित्सा कक्षों का प्रावधान करते हैं। इसी प्रकार, होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों के लिए न्यूनतम मानक आवश्यकता का निर्धारण करने वाले विनियम छात्रों को ऑपरेटिव शल्य चिकित्सा, ऑपरेटिव स्त्री-रोग और प्रसूति विज्ञान तथा शल्य क्रिया सम्बंधित प्रकरणों के प्रबंधन से भिज्ञ कराने के लिए शल्यक्रिया-कक्ष का प्रावधान करते हैं।

फिर भी, राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, मुरादाबाद और प्रयागराज में शल्यक्रिया-कक्ष की सुविधा नहीं थी। लेखापरीक्षा में यह भी पाया कि यद्यपि बांदा व पीलीभीत के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय और लखनऊ के राजकीय यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय में शल्यक्रिया-कक्ष की सुविधा थी, किन्तु यह उपकरणों से भली भांति सुसज्जित नहीं थे क्योंकि शल्यक्रिया-कक्ष में आवश्यक 136 प्रकार के उपकरणों के सापेक्ष राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, बांदा, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, पीलीभीत और राजकीय यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, लखनऊ में क्रमशः 107, 68 और 91 उपकरण उपलब्ध थे। लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि 2018-19 से 2022-23 की अवधि में:

- राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, पीलीभीत में शल्य विभाग द्वारा 57 वृहत शल्य-चिकित्सा (औसतन 11 शल्य-चिकित्सा प्रति वर्ष) की गयी, जबकि शल्य और प्रसूति विभागों द्वारा क्रमशः 246 (औसतन 49 शल्य-चिकित्सा प्रति वर्ष) और 874 (औसतन 175 शल्य-चिकित्सा प्रति वर्ष) लघु शल्य-चिकित्सा (कुल 1120 लघु शल्य-चिकित्सा) की गयी।
- राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, बांदा में, केवल शल्य विभाग द्वारा 397 लघु शल्य चिकित्सा (औसतन 79.4 शल्य-चिकित्सा प्रति वर्ष) की गईं।
- राजकीय यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, लखनऊ में 111 (औसतन 22 शल्य-चिकित्सा प्रति वर्ष) और 84 (औसतन 17 शल्य-चिकित्सा प्रति वर्ष) लघु शल्य-चिकित्सा (कुल 195 शल्य-चिकित्सा) क्रमशः जराहत विभाग और कबालत-व-अमराज़-ए-निस्वाँ विभाग द्वारा की गईं। महाविद्यालय द्वारा कोई वृहत शल्य-चिकित्सा नहीं की गई।

आवश्यक उपकरणों की कमी और चिकित्सा महाविद्यालयों से सम्बद्ध चिकित्सालयों द्वारा की गयी नगण्य शल्य-चिकित्सा अथवा शल्य-चिकित्सा न किये जाने के परिणामस्वरूप छात्रों को शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं के विषय में उचित प्रबोधन प्राप्त नहीं हुआ और सामान्य लोगों को उक्त सुविधा का लाभ नहीं मिल पाया है।

शासन ने बताया (जनवरी 2025) कि उपकरणों और शल्य चिकित्सकों की अनुपलब्धता के कारण राजकीय यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, लखनऊ में वृहत शल्य-चिकित्सा नहीं की गई; किन्तु कहा कि राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, बांदा के प्रसूति और शल्य विभाग द्वारा 397 शल्य-चिकित्सा की गई। शासन ने आगे बताया कि राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय में छोटे ऑपरेशन थिएटर उपलब्ध हैं, जहाँ आवश्यक स्टाफ उपलब्ध होने के बाद शल्य क्रिया की जाएगी।

## 9.5 मॉड्यूलर शल्य चिकित्सा-कक्ष, लघु शल्य चिकित्सा-कक्ष और एयरकंडिशनिंग सिस्टम की स्थापना में विलम्ब

उत्तर प्रदेश शासन ने राजकीय यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, लखनऊ में मॉड्यूलर शल्यचिकित्सा-कक्ष, लघु शल्यचिकित्सा-

कक्ष और एयर कंडीशनिंग सिस्टम आदि की स्थापना[7] के लिए ₹5.15 करोड़ की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की (जुलाई 2020)।

राजकीय यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, लखनऊ के प्राचार्य के अभिलेखों की जांच (जून 2023) से संज्ञान में आया कि ₹ 5.15 करोड़ की पूरी स्वीकृत लागत कार्यदायी संस्था को ₹ 0.20 करोड़ (अक्टूबर 2020), ₹ 1.90 करोड़ (फरवरी 2021), ₹ 1.85 करोड़ (जनवरी 2022) और ₹ 1.20 करोड़ (मार्च 2023) की चार किश्तों में बिना किसी समझौता ज्ञाप निष्पादित किये अवमुक्त कर दी गई। पहली किश्त अवमुक्त होने के लगभग तीन वर्षों और अंतिम किश्त जारी होने के तीन माह व्यतीत हो जाने के पश्चात, जून 2023 में काम पूरा करके महाविद्यालय को सौंप दिया गया। तथापि, ऑक्सीजन सिस्टम की अनुपलब्धता के कारण, मॉड्यूलर शल्यचिकित्सा-कक्ष क्रियाशील नहीं थे (सितंबर 2024)। इसके अतरिक्त, जून 2023 से सितंबर 2024 (15 महीने) के दौरान केवल 67 लघु शल्य चिकित्सा (औसतन 4 लघु शल्य चिकित्सा प्रति माह) की गईं, जो यह प्रदर्शित करता है कि क्रियाशील लघु शल्य चिकित्सा कक्ष का भी उपयोग कम किया गया। इस प्रकार, परियोजना का लाभ छात्रों और लाभार्थियों तक ससमय नहीं पहुँचाया जा सका।

शासन ने बताया (जनवरी 2025) कि मॉड्यूलर शल्य चिकित्सा कक्ष को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कर लिया गया है; किन्तु इसके उपयोग के संबंध में कोई विवरण नहीं दिया गया।

## 9.6 नैदानिक सेवायें

रेडियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल दोनों ही तरह की नैदानिक सेवायें, सटीक रोग-निर्णय के आधार पर जनता को साक्ष्य-आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएँ उप्लब्ध कराने के लिए सबसे आवश्यक स्वास्थ्य-सुविधाओं में से हैं। लेखापरीक्षा में निम्नलिखित पाया गया:

### 9.6.1 रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी सेवाओं की उपलब्धता

आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों के लिए न्यूनतम मानक आवश्यकता का निर्धारण करने वाले

[7] उत्तर प्रदेश सरकार ने (फरवरी 2020) प्रोजेक्ट्स कॉरपोरेशन को राजकीय तकमील-उत-तिब्ब कॉलेज, लखनऊ में उपकरण, फर्नीचर, मॉड्यूलर शल्य चिकित्सा कक्ष, माइनर शल्य चिकित्सा कक्ष, एचवीसी/एयरकंडीशनिंग सिस्टम, जिसमें एएचयू तकनीक, इलेक्ट्रिक फर्नेस आदि की आपूर्ति और स्थापना के लिए कार्यदायी संस्था के रूप में नामित किया। प्रोजेक्ट्स कॉरपोरेशन द्वारा प्रस्तुत ₹ 588.48 लाख के प्राक्कलन के सापेक्ष, सरकार ने परियोजना के लिए ₹ 515.47 लाख की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की (जुलाई 2020)।

विनियमों की अपेक्षानुसार अस्पतालों में भली-भांति सुसज्जित नैदानिक/केंद्रीय प्रयोगशाला[8], रेडियोलॉजी या सोनोग्राफी अनुभाग, एक्स-रे कक्ष, एक्स-रे, स्कैनिंग और सोनोग्राफी यूनिट[9] होनी चाहिए; और सामान्य, रोग संबंधी, जैव रासायनिक और रक्त संबंधी जाँच करने के लिए एक प्रयोगशाला होनी चाहिए। परमाणु ऊर्जा (विकिरण संरक्षण) नियम 2004 के अनुसार, एक्स-रे और कंप्यूटेड टोमोग्राफी (सीटी) स्कैन इकाई के लिए परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड से अनुज्ञप्ति लेना आवश्यक था।

तालिका-22 में दिए गए विवरण जुलाई से सितंबर 2023 की अवधि के दौरान नमूना जांच किए गए पांच राजकीय आयुष चिकित्सा महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों में नैदानिक सुविधाओं की उपलब्धता को दर्शाते हैं:

**तालिका 22: नमूना जांचे गए पांच राजकीय आयुष चिकित्सा महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों में उपलब्ध नैदानिक सुविधाओं का विवरण**

| राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों का नाम | नैदानिक सुविधाओं की उपलब्धता | | | |
|---|---|---|---|---|
| | अल्ट्रा सोनोग्राफी | सीटी-स्कैन | एक्स-रे | पैथोलॉजी |
| पीलीभीत | नहीं | नहीं | नहीं | हां |
| बाँदा | नहीं | नहीं | नहीं | हां |
| प्रयागराज | हां | नहीं | हां (क्रियाशील नहीं) | नहीं |
| मुरादाबाद | नहीं | नहीं | उपलब्ध है लेकिन क्रियाशील नहीं है | नहीं |
| लखनऊ | नहीं | नहीं | हां | हां |

*(स्रोत: चयनित राजकीय आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों)*

लेखापरीक्षा ने पाया कि जिन चिकित्सालयों में एक्स-रे मशीनें थीं, उनमें से किसी के पास परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की अनुज्ञप्ति नहीं थी। लेखापरीक्षा ने अग्रेतर जांच में पाया कि यद्यपि प्रयागराज में एक्स-रे मशीन उपलब्ध थी, लेकिन कर्मचारियों के अभाव के कारण यह क्रियाशील नहीं थी। पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी सेवाओं की अनुपस्थिति ने अस्पताल में साक्ष्य-आधारित उपचार सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाला।

[8] इन विनियमों में निर्दिष्ट उचित आधारभूत ढांचे और जनशक्ति के साथ चिकत्सालय के बाह्य-रोगी और अन्तःरोगी विभाग से संदर्भित किये गये रोगियों की नियमित, पैथोलॉजिकल, बायोकेमिकल और हेमेटोलॉजिकल जांच करने के लिए। महाविद्यालयीय चिकत्सालय में यह प्रयोगशाला, प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त होनी थी।

[9] अथवा सोनोग्राफी इकाई के लिए निकटवर्ती प्रतिष्ठित, प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान के साथ समझौता ज्ञाप निष्पादित किया गया होना चाहिये।

शासन ने बताया (जनवरी 2025) कि बांदा और पीलीभीत के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों में उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, तथा महाविद्यालयों को एक्स-रे मशीनों को व्यवस्थित रूप से संचालित करने के निर्देश दिए जाएंगे; एक्स-रे मशीनों की अनुपलब्धता के कारण परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं की जा सकी; तथा मशीनों के क्रय के पश्चात अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की कार्यवाही की जाएगी। शासन ने यह भी कहा कि आयुर्वेद के लिए भारतीय चिकित्सा प्रणाली के राष्ट्रीय आयोग के मानदंडों के अंतर्गत सीटी स्कैन का कोई प्रावधान नहीं था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि मानदंडों के अनुसार अस्पताल में अच्छी तरह से सुसज्जित रेडियोलॉजी या सोनोग्राफी अनुभाग होना चाहिए।

### 9.6.2 नैदानिक सेवाओं हेतु मानव-संसाधन की उपलब्धता

आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों हेतु न्यूनतम मानक आवश्यकता का निर्धारण करने वाले विनियम प्रत्येक शिक्षण अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, प्रयोगशाला तकनीशियन और एक्स-रे तकनीशियन की उपलब्धता का प्रावधान करते हैं।

नमूना-जांच किये गये पांच चिकित्सालयों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना (जुलाई से सितंबर 2023 तक) से यह संज्ञान में आया कि उनमें नैदानिक कार्मिकों की पर्याप्त कमी थी, जैसा कि तालिका-23 में विस्तृत रूप से बताया गया है:

**तालिका 23: नैदानिक सेवाओं में मानव संसाधनों की कमी को दर्शाने वाला विवरण**

| पद का नाम | पीलीभीत | | बाँदा | | प्रयागराज | | मुरादाबाद | | लखनऊ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | स्वीकृत | उपलब्ध | स्वीकृत | उपलब्ध | स्वीकृत | उपलब्ध | स्वीकृत | उपलब्ध | स्वीकृत | उपलब्ध |
| रेडियोलॉजिस्ट | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| पैथोलॉजिस्ट | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| लैब. तकनीशियन | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| एक्स-रे तकनीशियन | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |

*(स्रोत: नमूना जांच किए गए राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)*

लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि न्यूनतम मानक आवश्यकता में अपेक्षित था, लखनऊ में एक पैथोलॉजिस्ट को छोड़कर, परीक्षण किये गये किसी भी चिकित्सालय में कोई रेडियोलॉजिस्ट और पैथोलॉजिस्ट नहीं था। स्वीकृत पद के सापेक्ष, मुरादाबाद और पीलीभीत में क्रमशः शून्य और चार (दो अतिरिक्त)

प्रयोगशाला तकनिशियन थे। इसके अतरिक्त, बांदा और पीलीभीत के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों और मुरादाबाद के राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय में कोई एक्स-रे तकनीशियन नहीं था।

नैदानिक कार्मिकों के अभाव के कारण साक्ष्य-आधारित स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने और महाविद्यालय के छात्रों के शिक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

शासन ने बताया (जनवरी 2025) कि शासनादेश (दिसंबर 2015) के अनुसार, रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी में विशेषज्ञता रखने वाले राज्य चिकित्सा सेवा संवर्ग के चिकित्सा अधिकारियों को अंशकालिक आधार पर राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय से संबद्ध किया जाना था; किन्तु यह स्वीकार किया कि वर्तमान में वे अपनी सेवायें नहीं दे रहे हैं। शासन ने आगे बताया कि राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के प्राचार्य रेडियोलॉजिस्ट और पैथोलॉजिस्ट की सेवाएं प्राप्त करने के लिए 'ऑन कॉल' प्रणाली अपना रहे हैं; और राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय में भी इसी प्रणाली को अपनाने के लिए कार्रवाई की जा रही है; किन्तु राजकीय यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, लखनऊ में रेडियोलॉजिस्ट की अनुपलब्धता के बारे में कोई उत्तर नहीं दिया।

## 9.7 अग्नि से सुरक्षा

उत्तर प्रदेश अग्नि सुरक्षा मानदंड मैनुअल 2005 चिकित्सालय भवनों के लिए आग से सुरक्षा के संबंध में मानक निर्धारित करता है। भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 भाग 4, अग्नि और जीवन सुरक्षा, प्रत्येक अस्पताल में अग्निशामक यंत्र लगाए जाने की अपेक्षा करती है ताकि अस्पताल में आग लगने की स्थिति में रोगियों/परिचारकों/आगंतुकों और अस्पताल के कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उत्तर प्रदेश अग्नि सुरक्षा मानदंड आपातकालीन परिस्थियों के दौरान रोगियों और कर्मचारियों को निकालने के लिए निकासी मार्गों और सीढ़ियों की तस्वीरों के साथ निकासी योजना का भी प्रावधान करता है।

नमूना जांच किये गये पाँच राजकीय आयुष चिकित्सा महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना **तालिका-24** में दी गई है:

**तालिका 24: चिकित्सालयों की अग्निशमन क्षमता को दर्शाने वाला विवरण**

| विवरण | राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय | | राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय | | राजकीय यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय |
|---|---|---|---|---|---|
| | पीलीभीत | बाँदा | मुरादाबाद | प्रयागराज | लखनऊ |
| चिकित्सालय की सुरक्षा लेखापरीक्षा | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | हाँ |
| अग्निशामक यंत्रों की उपलब्धता | नहीं | नहीं | हाँ | हाँ | हाँ |
| निकासी योजना की उपलब्धता | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| निकासी योजना की तस्वीर की उपलब्धता | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| निकासी मार्ग और सीढ़ियों की उपलब्धता | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |

*(स्रोत: चयनित राजकीय आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय)*

इस प्रकार, इन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों में आग से रोगियों की सुरक्षा से समझौता किया गया।

शासन ने बताया (जनवरी 2025) कि राजकीय आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों के भवन पुराने हैं तथा अग्नि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अग्निशमन उपकरण क्रय किये गए हैं; होम्योपैथी सेवाओं के अंतर्गत किये गये नये निर्माणों में अग्निशमन के प्रावधान सम्मलित किये गये हैं, राजकीय यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय में अग्नि सुरक्षा की आवश्यकता पूरी की जा रही है तथा राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के संबंध में, जहां अग्निशमन सुविधा उपलब्ध नहीं है, अग्नि सुरक्षा हेतु कार्यवाही की जा रही है।

## 9.8 लिनेन और लॉन्ड्री सेवाओं की उपलब्धता

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कायाकल्प पहल के कार्यान्वयन के लिए जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, चिकित्सालयों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी कि उनके पास चिकित्सालय के सभी भागों के लिए लिनेन का पर्याप्त स्टॉक (रिजर्व सहित) उपलब्ध है। चिकित्सालय में आवश्यक विभिन्न प्रकार के लिनेन में रोगी की देखभाल के लिए प्रयोग किये जाने वाले सामान्य प्रयोजन के लिनेन, जैसे पर्दे, ड्रेप्स, टेबल

क्लॉथ; रोगी-लिनेन जैसे पजामा, शर्ट, गाउन, कोट आदि जो रोगी पहनते हैं; शय्या लिनेन जैसे चादरें, तकिये के कवर, रोगी द्वारा उपयोग किया जाने वाला कम्बल; और शल्य चिकित्सा कक्ष, लेबर रूम, प्रक्रिया कक्ष लिनेन, जैसे कि पजामा, कुर्ता, गाउन, कोट, शर्ट आदि जो शल्य चिकित्सक आदि द्वारा पहने जाते हैं, सम्मलित है।

नमूना-जांच किये गये पाँच राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना से यह संज्ञान में आया कि आवश्यक 20 प्रकार के लिनेन के सापेक्ष, लिनेन की उपलब्धता 3 से 16 प्रकार (औसतन 10 प्रकार) के मध्य थी, जैसा कि ***परिशिष्ट-11*** में दिया गया है, और नीचे संक्षेपित किया गया है:

- राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, मुरादाबाद में केवल तीन प्रकार के लिनेन (शय्या की चादर, कंबल और गद्दे) उपलब्ध थे जिनमें से प्रत्येक की संख्या 25 थी, जबकि वहां 100 शय्याओं की उपलब्धता थी। इसी प्रकार, राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, प्रयागराज में केवल 11 प्रकार के लिनेन थे। इसके अतिरिक्त**,** 38 शय्याओं की उपलब्धता के सापेक्ष, चिकित्सालय में तकियों की संख्या केवल छः थी, चिकित्सालय में कोई चादर नहीं थी।
- राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, बांदा और पीलीभीत में क्रमशः केवल 12 और सात प्रकार के लिनेन उपलब्ध थे।

महानिदेशक ने (नवंबर 2024) राजकीय आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, बांदा के विभिन्न विभागों में उपलब्ध 16 प्रकार के लिनेन की सूची प्रस्तुत की, जिसमें दरी और पर्दे भी सम्मिलित थे। यधपि, शासन ने कहा (जनवरी 2025) कि राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालयमें सभी प्रकार के लिनेन उपलब्ध हैं, किन्तु उनके द्वारा अन्य चिकित्सालयों में आवश्यक संख्या और मात्रा में लिनेन की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं दिया गया। उत्तर राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के विपरीत है।

## 9.9 जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन

जैव-चिकित्सा अपशिष्ट, चिकित्सालयों में निदान, उपचार और टीकाकरण से संबंधित प्रक्रियाओं के दौरान उत्पन्न होते है और इनका प्रबंधन अस्पताल परिसर के भीतर संक्रमण को नियंत्रित करने का एक अभिन्न अंग है। जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (जैव-चिकित्सा अपशिष्ट नियम),

अन्य बातों के साथ-साथ, जैव-चिकित्सा अपशिष्ट के संग्रह, उठान, परिवहन, निस्तारण और अनुश्रवण के लिए प्रक्रियाओं को निर्धारित करते हैं। लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- जैव-चिकित्सा अपशिष्ट नियमों के अनुसार जैव-चिकित्सा अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले चिकित्सालयों को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त करना आवश्यक था। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अपेक्षित प्राधिकार किसी भी चिकित्सालय के पास उपलब्ध नहीं था।
- जैव-चिकित्सा अपशिष्ट नियमों के अनुसार, उत्पन्न जैव चिकित्सा अपशिष्ट की श्रेणीवार मात्रा और उसके निस्तारण की सूचना प्रतिवर्ष निर्धारित प्रारूप में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजी जानी थी। जैव-चिकित्सा अपशिष्ट नियमों के अंतर्गत अपेक्षित अपशिष्ट के उत्पादन और निस्तारण से संबंधित वार्षिक सूचना किसी भी नमूना-जांच किए गए अस्पताल द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नहीं भेजी गई।
- जैव-चिकित्सा अपशिष्ट नियम चिकित्सालयों से जैव-चिकित्सा अपशिष्ट की विभिन्न श्रेणियों को उनके उत्पादन के स्रोत पर अलग-अलग रंग के डिब्बों में अलग-अलग रखने की अपेक्षा करते हैं। नमूना जाँच किये गये किसी भी चिकित्सालय में जैव-चिकित्सा अपशिष्ट को अलग-अलग रंग के डिब्बों को नहीं रखा गया था।
- अपशिष्ट को उत्पादन स्थल पर उचित रंग के कूटबद्ध बैग में एकत्रित किया जाना चाहिए और इसे सामान्य जैव अपशिष्ट उपचार सुविधा प्रदाता द्वारा संगृहीत किया जाना चाहिए, जो जैव-चिकित्सा अपशिष्ट के संग्रह और उसके उचित निस्तारण के लिए उत्तरदायी है। लेखापरीक्षा ने पाया कि नमूना जाँच किये गये किसी भी चिकित्सालय में न तो सामान्य जैव अपशिष्ट उपचार सुविधा प्रदाता को नामित किया गया था और न ही सामान्य जैव अपशिष्ट उपचार सुविधा प्रदाता द्वारा जैव-चिकित्सा अपशिष्ट को किसी भी नमूना जांच कियी गये चिकित्सालय में संग्रहीत ही किया गया था।
- जैव-चिकित्सा अपशिष्ट नियमों के अनुसार, स्वास्थ्य सेवा सुविधायें यह सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी है कि समस्त कर्मचारियों को जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन पर नियमित प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। नमूना जांच किये गये किसी भी चिकित्सालय में जैव-चिकित्सा अपशिष्ट के प्रबंधन पर प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था।

शासन ने बताया (जनवरी 2025) कि सभी राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों को जैव-चिकित्सा अपशिष्ट के प्रबंधन और दिशा-निर्देशों के अनुपालन के लिए निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं, राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों में जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन की नीति के अनुसार सुविधाएं प्रदान की गई हैं; तथा राजकीय यूनानी चिकित्सा महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों में जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ की जाएगी। उत्तर इंगित करता है कि इन चिकित्सालयों द्वारा संक्रमण-नियंत्रण को उचित महत्व नहीं दिया गया था।

## 9.10 रोगियों के अधिकार और शिकायत निवारण

कायाकल्प पहल के कार्यान्वयन के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में संकेतकों जैसे नागरिक चार्टर, रोगियों के अधिकार और उत्तरदायित्वों सहित शिकायत निवारण प्रक्रिया, सेवाओं का विस्तार, अनुपलब्ध सेवायें आदि के प्रदर्शन का प्रावधान है।

लेखापरीक्षा में चयनित पांचों चिकित्सालयों के संयुक्त भौतिक सत्यापन से संज्ञान में आया कि किसी भी अस्पताल ने नागरिक चार्टर और रोगियों के अधिकारों का चार्टर प्रदर्शित नहीं किया था। इसके अतरिक्त, इनके यहाँ कोई शिकायत रजिस्टर नहीं था और रोगियों की शिकायतों के निवारण के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। अग्रेतर, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, बांदा और राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, मुरादाबाद में चिकित्सालयों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की सूची प्रदर्शित नहीं की गई थी।

शासन ने बताया (जनवरी 2025) कि राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों को आपत्तियों को दूर करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं (जनवरी 2025), प्रत्येक होम्योपैथिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र में चिकित्सकों और अन्य कर्मचारियों की सूची चिपका दी गई है जहाँ रोगी अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं; लेकिन लेखापरीक्षा में उठाये गये अन्य बिंदुओं के सम्बंध में कोई उत्तर नहीं दिया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नमूना जाँच किए गए चिकित्सालयों और औषधालयों ने स्वीकार किया है कि उनके यहाँ कोई शिकायत निवारण प्रणाली उपलब्ध नहीं थी।

## 9.11 रोगी-कल्याण समिति/जन-आरोग्य समिति

राष्ट्रीय आयुष मिशन के दिशा-निर्देशों में प्रत्येक अस्पताल/औषधालय में आयुष-रोगी कल्याण समिति के गठन का प्रावधान है। इसी प्रकार, स्वास्थ्य

एवं कल्याण केंद्रों के दिशा-निर्देशों में प्रत्येक स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र में आयुष जन-आरोग्य समिति के गठन का प्रावधान है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जांच किए गए किसी भी शिक्षण-चिकित्सालय, चिकित्सालय, औषधालय या स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों में आयुष-रोगी कल्याण समिति और आयुष जन-आरोग्य समिति का गठन नहीं किया गया था।

शासन ने कहा (जनवरी 2025) कि आयुर्वेदिक और राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों के संबंध में रोगी कल्याण समिति का गठन जिला स्तर पर किया गया है और इसे जल्द ही यूनानी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों में गठित किया जाएगा; पचास शैय्या वाले एकीकृत आयुष चिकित्सालय (अक्टूबर 2023) में आयुष-रोगी कल्याण समिति और स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों (सितंबर 2024) में आयुष जन आरोग्य समिति को गठित करने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं और यूनानी चिकित्सालयों और औषधालयों में आयुष-रोगी कल्याण समिति का गठन करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं; किन्तु आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक औषधालयों/चिकित्सालयों में रोगी कल्याण समिति के गठन के सम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं दिया। उत्तर पुष्टि करता है कि आयुष-रोगी कल्याण समिति का गठन किसी भी नमूना-जांच किए गए शिक्षण अस्पताल में नहीं किया गया है क्योंकि आयुष-रोगी कल्याण समिति एक चिकित्सालय स्तर की सुविधा है। उत्तर यह भी पुष्टि करता है कि आयुष जन आरोग्य समिति का गठन किसी भी नमूना-जांच किए गए स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों में नहीं किया गया है।

**संक्षेप में,** आयुष चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रतिदिन औसत परामर्श और प्रतिदिन औसत अंतःरोगी, भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद और केंद्रीय होम्योपैथी परिषद द्वारा निर्धारित मानदंडों की तुलना में पर्याप्त रूप से कम थे। लेखापरीक्षा में नमूना जाँच किये गये औषधालयों और चिकित्सालयों में आधारभूत सुविधाओं का अभाव था। शल्य चिकित्सा सेवाओं में भी महत्वपूर्ण कमियाँ पाई गईं। नमूना जांच किए गये चिकित्सालयों में नैदानिक सेवाओं का प्रबंध वांछित के सापेक्ष पर्याप्त रूप से कम था तथा निर्धारित उपकरणों की अनुपलब्धता और मानव संसाधनों की कमी से ग्रसित था, जिसके कारण रोगी, साक्ष्य-आधारित उपचार सुविधायें प्राप्त करने से वंचित थे। नमूना जाँच किये गये चिकित्सालयों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का पालन न करके चिकित्सालय परिसर में सुरक्षा से समझौता किया गया था।

**अनुशंसा 18:** चिकित्सालयों और औषधालयों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाना चाहिए।

**अनुशंसा 19:** रोगियों को साक्ष्य आधारित उपचार सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नैदानिक उपकरण और नैदानिक सेवाओं हेतु मानव संसाधन उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

**अनुशंसा 20:** अग्नि से सुरक्षा की उचित व्यवस्था करके रोगियों की सुरक्षा को उचित महत्व दिया जाना चाहिए।

**(राज कुमार)**
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I),
उत्तर प्रदेश

प्रयागराज
दिनांक: 12 जनवरी 2026

**प्रतिहस्ताक्षरित**

**(के. संजय मूर्ति)**
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक: 22 JAN 2026